

be paid at the time of occupation of these flats by the allottees after the specific draw.

### Narmada Irrigation Project

804. SHRI CHIMANBHAI MEHTA: Will the Minister of WATER RE-SOURCES be pleased to state:

(a) the progress so far made on the Narmada Irrigation Project in terms of costs and construction;

(b) whether the dues to be paid by Maharashtra and other State Governments have been recovered;

(c) what amount of loan has been sanctioned by the international agencies; and

(d) whether there are any schemes for inclusion in the Seventh Five Year Plan of waterways in Narmada, if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF WATER RE-SOURCES (SHRI B. SHANKARANAND): (a) An expenditure of Rs. 287 crores has been incurred on the Narmada Irrigation Project (Sardar Sarover Project) upto September 1985. Works of river-diversion, fault-zone concreting and excavation of main dam seat are completed. Works of treatment of weak layers, grouting work, construction of left blocks from 1 to 10, rock fill dam and main canal works between km. 0 to km. 21 are under progress. Work of the rockfill dam is expected to be completed during the year 1985-86. Narmada Main Canal in the head reaches is under progress.

(b) The Governments of Maharashtra and Madhya Pradesh have already paid a substantial portion of their share of the expenditure on the construction of Sardar Sarovar Project. The Government of Rajasthan have not yet paid their share of expenditure.

(c) The World Bank is to provide an assistance of US \$450 million to the project.

(d) No, Sir.

### बाढ़ से प्रभावित राज्यों को केन्द्रीय सहायता

805. श्री चिमनभाई मेहता : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1985 से लेकर 8 नवम्बर, 1985 तक की अवधि के दौरान गुजरात और अन्य राज्यों में अत्यधिक वर्षा से प्रभावित लोगों के लिये केन्द्र से कितनी अनुदान राशि और किस प्रकार की सहायता की मांग की गई है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता/अनुदान राशि मंजूर की गयी है ;

(ग) वास्तव में कितनी राशि दी जानी है और यह कब तक दे दी जायेगी ; और

(घ) घनराशि में कमी करने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) गुजरात सरकार ने इस वर्ष के दौरान भारी वर्षा के लिये केन्द्रीय सहायता मांगने के संबंध में अभी तक कोई ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया है। उन राज्यों के नाम, जिन्होंने 1 जनवरी, 1985 से 20 नवम्बर, 1985 तक बाढ़/भारी वर्षा के लिये केन्द्रीय सहायता मांगी, मांगी गई सहायता और स्वीकृति घनराशि को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। (नीचे देखिये)

(घ) केन्द्रीय सहायता का निर्धारण मार्गदर्शी सिद्धान्तों सहायता के मानदण्ड और केन्द्रीय दलों/अन्य मंत्रालयों ग्रुपों और राहत संबंधी उच्च स्तरीय समिति द्वारा मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

क्रम सं०	राज्य	विषय	मांगी गई धनराशि	स्वीकृत धनराशि
1	राजस्थान	बाढ़	22.25	4.99
2	अरुणाचल प्रदेश	बाढ़	86.88	स्वीकृति जारी की जा रही है।
3	हरियाणा	बाढ़	39.27	दल शीघ्र दौरा करेगा
4	हिमाचल प्रदेश	बाढ़	67.02	-वहीं-
5	केरल	बाढ़	743.36	134.79
6	मणिपुर	बाढ़	4.54	स्वीकृति जारी की जा रही है।
7	महाराष्ट्र	बाढ़	35.34	13.91
8	मेघालय	बाढ़	6.51	स्वीकृति जारी की जा रही है।
9	नागालैंड	बाढ़	2.12	दल शीघ्र दौरा करेगा
10	उड़ीसा	तूफान	105.79	केन्द्रीय दल की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।
11	पंजाब	बाढ़	474.11	60.88
12	त्रिपुरा	बाढ़	7.61	3.73
13	उत्तर प्रदेश	बाढ़	1273.87	128.27
14	अरुणाचल प्रदेश	बाढ़	8.42	3.79
15	गोवा, दमन और दीव	बाढ़	0.015	स्वीकृति जारी की जा रही है।
16	मिजोरम	बाढ़	4.33	सम्बन्धित ज्ञापन और अतिरिक्त जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है।
17	कर्नाटक	बाढ़	3.74	राज्य सरकार के पास बाढ़ के कारण नष्ट हुई सम्पत्ति की मरम्मत के लिये उनके बजट में पर्याप्त धनराशि थी, अतः कोई केन्द्रीय सहायता स्वीकृत नहीं की गई।
18	तमिलनाडु	बाढ़/ तूफान	91.00	केन्द्रीय दल 23 नवम्बर, 1985 से दौरा करेगा।
19	पाण्डिचेरी	बाढ़	12.38	
कुल			2885.12	350.36